530/2014

BAR ASSOCIATION DEHRADUN

क्र. B 3439

विक्रय विलेख का वांछित विवरण

1.	मालियत विक्रय प्रतिफल	22,08,000/- रू0
2.	शासकीय मूल्यांकन	22,08,000/- रू0
3.	स्टाम्प शीट की संख्या	13
4.	कुल स्टाम्प शुल्क देय	1,10,500/- रू0
5.	सर्किल रेट	भूमिखण्ड का सर्किल रेट 26,000/- रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर सें तथा दुकान का प्रतिमाह किराया 220/- रूपये (किराया) गुणा 300 की दर से।
6.	प्रमुख मार्ग से दूरी	विक्रीत दुकान प्रिन्स चौक एवं सहारनपुर चौक के मध्य गांधी रोड पर स्थित है।
7.	विवरण दुकान	"लक्ष्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स" जो वर्तमान में "श्री लक्ष्मी प्लाजा" के नाम से भी जाना जाता है, नामक सम्पत्ति स्थित 64 गांधी रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) में अपर भूतल पर स्थित एक दुकान नम्बर-114, जिसका कुल क्षेत्रफल 240 वर्गफुट अर्थात 22.30 वर्गमीटर है (पूर्ण निर्मित) (बिना छत के अधिकारों के)।
8.	विक्रेता का नाम व पता	**श्रीमती ईशा अग्रवाल** धर्मपत्नी श्री उज्जवल अग्रवाल, निवासिनी 76-सी नेशविला रोड़, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड। **(PAN : ABHPK9296L)** AGDPA3159R
9.	क्रेता के नाम व पते	**श्री अनिल चमोली** पुत्र श्री सी0 एम0 चमोली, निवासी डी-29 नेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड)। **(PAN : AFSPC1573P)**
10.	रचयिता का नाम :-	**दिनेश तिवारी,** अधिवक्ता कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A 456687

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

मुख्य कोषाधिकारी कोषागार, देहरादून
31 OCT 2013
निर्गत किया कोड सं. 001

– 2 –

विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक 18-01-2014 को स्थान देहरादून में **श्रीमती ईशा अग्रवाल** धर्मपत्नी श्री उज्जवल अग्रवाल, निवासिनी 76-सी नेशविला रोड़, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड (जिनको इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है)।

........विक्रेता

ने

श्री अनिल चमोली पुत्र श्री सी0 एम0 चमोली, निवासी डी-29 नेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) (जिनको इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है) **के पक्ष में** अंकित, हस्ताक्षरित व निष्पादित किया। ....क्रेता

विदित हो कि सर्वश्री रोशन लाल कोठियाला एवं श्री विपिन कुमार कोठियाला तथा लाला श्री नारायण गुप्ता ने संयुक्त रूप से मिलकर सम्पत्ति संख्या-64 गांधी रोड़, देहरादून, जिसके उत्तर में जैन कालोनी, दक्षिण में गांधी रोड़, पूरब में जनरल मोटर स्टोर, पश्चिम में कॉमन पैसेज तत्पश्चात उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम है, बजरिये विक्रय विलेख दिनांक 23-02-1970 के माध्यम से श्री राय बहादुर उग्रसेन जी से क्रय की थी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून में बही संख्या-1, जिल्द संख्या-973 के पृष्ठ संख्या-61 से 64 में प्रलेख संख्या-1175 पर दिनांक 28-02-1970 को विधिवत् पंजीकृत है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 456590

कोषाधिकारी देहरादून

1 OCT 2013

निर्गत किया कोड सं. 001

विदित हो कि दिनांक 02-12-1972 को उपरोक्त श्री रोशन लाल कोठियाला जी का स्वर्गवास होने पर उन्होंने अपने मरणोपरान्त अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती एवं दो पुत्र श्री राजेन्द्र लाल कोठियाला एवं श्री रविन्द्र लाल कोठियाला तथा तीन पुत्रियां श्रीमती ऊषा सेठ, उमा सूद एवं कुमारी सुमन कोठियाला को अपने विधिक् उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ा। श्री रोशन लाल कोठियाला के स्वर्गवास के उपरान्त उनके उपरोक्त विधिक् उत्तराधिकारियों के मध्य पंच श्री वजीन चन्द्र आहूजा जी की मध्यस्थता में पंच कार्यवाही सम्पन्न हुई, जिसमें श्री आहूजा द्वारा दिये गये एवार्ड के अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति संख्या-64 गांधी रोड़, देहरादून एवं लक्ष्मी टाकीज के व्यापार का अविभाजित 1/3 भाग श्री रोशन लाल कोठियाला की धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती उपरोक्त के एकमात्र भाग में आ गया। उपरोक्त एवार्ड वाद संख्या 115 वर्ष 1973 के अर्न्तगत रूल ऑफ दि कोर्ट बना।

विदित हो कि श्रीमती लीलावती उपरोक्त ने सम्पत्ति संख्या-64 गांधी रोड़, देहरादून व लक्ष्मी टाकीज के व्यापार के अविभाजित 1/3 भाग को सब प्रकार के हस्तान्तरण आदि के अधिकारों सहित एकमात्र स्वामिनी व अधिकारिणी होने के नाते अपने अन्तिम इच्छा पत्र दिनांक 15-11-1987 के द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति अपनी पुत्रवधू श्रीमती स्नेह कोठियाला धर्मपत्नी श्री रविन्द्र कोठियाला को दिया। श्रीमती लीलावती कोठियाला की मृत्यु के उपरान्त उक्त अन्तिम इच्छा-पत्र के आधार पर श्रीमती स्नेह कोठियाला का नाम नगर निगम, देहरादून के अभिलेखों में बतौर स्वामिनी व अध्यासिनी विधिवत् दर्ज हो गया।

विदित हो कि सम्पत्ति संख्या-64 गांधी रोड़, देहरादून के अन्य दो मूल क्रेता एवं सह-भागीदार श्री विपिन लाल कोठियाला का अविभाजित 1/3 भाग उनके व उनके पुत्रों के मध्य हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार उनके पुत्र श्री अनूप कोठियाला के एकमात्र स्वामित्व एवं स्व0 श्री नारायण दास के एकमात्र पुत्र श्री ज्योति गुप्ता उपरोक्त हो गये, तथा उनका नाम भी नगर निगम, देहरादून के अभिलेखों में में बतौर स्वामी दर्ज हो गया।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये भारत

रु. 10000 Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 456672

3 1 OCT 2013

निर्गत क्रिया
कोड सं. 001

विदित हो कि इस सम्पूर्ण सम्पत्ति संख्या-64 गांधी रोड़, देहरादून के संयुक्त रूप से सहस्वामी श्रीमती स्नेह कोठियाला, श्री अनूप कोठियाला व श्री ज्योति प्रसाद गुप्ता हो गये तथा उपरोक्त तीनों सहस्वामियों ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को लक्ष्मी टाकिज के नाम से प्रसिद्ध रही भवन को पूर्णतः ध्वस्त कराकर, इस पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून से मानचित्र स्वीकृत कराकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया, जो "लक्ष्मी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स" के नाम से स्वीकृत है और इसी नाम से जाना जाता है।

विदित हो कि तदानुसार उक्त श्री अनूप कोठियाला पुत्र स्व0 श्री विपिन लाल कोठियाला द्वारा मुख्तारेआम श्री रविन्द्र कोठियाला पुत्र श्री रोशन लाल कोठियाला, निवासी ढांगू रोड़, पठानकोट, पंजाब ने विक्रय विलेख दिनांक 13-10-2010 के माध्यम से इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति वर्तमान विक्रेता श्रीमती ईशा अग्रवाल को विक्रीत, अन्तरित व हस्तान्तरित कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्धक सदर-द्वितीय, देहरादून में बही संख्या-1, जिल्द संख्या-3356 के पृष्ठ संख्या-267 से 298 में प्रलेख संख्या-7504 पर दिनांक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है। उपरेक्तानुसार विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति की एकमात्र स्वामिनी व अध्यासी है। विक्रेता का नाम नगर निगम देहरादून के अभिलेखों में बतौर स्वामिनी विधिवत् प्रविष्ट है। विक्रेता को इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को विक्रीत, अन्तरित व हस्तान्तरित आदि करने के विधिक् अधिकार प्राप्त हैं।

विदित हो कि विक्रेता का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान के विषय में पवित्र है तथा विक्रेता के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नहीं है। इस दुकान पर किसी बैंक, सोसायटी, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभाग में किसी प्रकार का कोई ऋण देय नहीं है तथा यह दुकान कहीं बन्धक नहीं है। दुकान स्पष्ट स्वामित्व की है। इस दुकान पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह दुकान किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अध्यासन स्वच्छ है।

Isha.

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रूपये

भारत

रू. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 258261

विदित हो कि इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान पाक व साफ है और किसी स्थान पर धरोहर व बन्धक नहीं है तथा विक्रेता को अपनी उक्त सम्पत्ति विक्रय करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। विक्रेता बिना किसी के सिखलाये, बहकाये, बिना किसी अनुचित दबाव के, इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान को क्रेता को **अंकन 22,08,000/- रूपये (बाईस लाख आठ हजार रूपये मात्र)** की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप विक्रीत करना चाहती है और क्रेता भी इस विक्रय प्रतिफल धनराशि की एवज में इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान को क्रय करना चाहता हैं।

अतः यह विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

(1) यह कि उपरोक्त विक्रेता, इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान को **क्रेता-महोदय श्री अनिल चमोली** पुत्र श्री सी0 एम0 चमोली, निवासी डी-29 नेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) को **अंकन 22,08,000/- रूपये (बाईस लाख आठ हजार रूपये मात्र)** की धनराशि में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करती है तथा दुकान पर स्वामी के रूप में क्रेता-महोदय को आरूढ़ करती है। दुकान का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेता ने क्रेता-महोदय को देकर दुकान पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि **अंकन 22,08,000/- रूपये (बाईस लाख आठ हजार रूपये मात्र)** विक्रेता ने क्रेता-महोदय से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है :-

क- अंकन 10,00,000/- रूपये (दस लाख रूपये मात्र) बजरिये चैक सं0 000026 दिनांकित 08-04-2013, वास्ते आन्ध्रा बैंक, राजपुर रोड़, देहरादून,

ख- अंकन 5,00,000/- रूपये (पांच लाख रूपये मात्र) बजरिये चैक सं0 000030 दिनांकित 15-04-2013, वास्ते आन्ध्रा बैंक, राजपुर रोड़, देहरादून,

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रूपये

भारत

रू. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 456267

मुख्य कोषाधिकारी कोषागार, देहरादून

31 OCT 2013

निर्गत किया कोड सं० 001

ग– अंकन 5,00,000/– रूपये (पांच लाख रूपये मात्र) बजरिये चैक सं0 000127 दिनांकित 18-01-2014, वास्ते आन्ध्रा बैंक, राजपुर रोड़, देहरादून,

घ– अंकन 2,08,000/– रूपये (दो लाख आठ हजार रूपये मात्र) नकद,

जिसकी प्राप्ति को विक्रेता उपनिबन्धक महोदय, देहरादून के समक्ष एतद्द्वारा स्वीकार करती है। विक्रय प्रतिफल की एवज में क्रेता-महोदय द्वारा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

(2) <u>यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेता निम्नानुसार स्पष्ट करती है :-</u>

(क) यह कि विक्रेता ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित दुकान से अपना अध्यासन हटाकर उसका वास्तविक अध्यासन क्रेता को स्थल पर दे दिया है और क्रेता को दुकान पर अध्यासित व आरूढ़ कर दिया है। क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत दुकान से जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, अपने उपयोग-उपभोग में लावे, निर्माण करें, रास्ता, नाली, पानी, हवा, रोशनी आदि का उपयोग करें, नगर निगम के अभिलेखों में अपने नाम से दाखिल खारिज करवायें, या अन्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय करें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ख) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान की बाबत आज तक देय समस्त कर आदि या अन्य कोई पाया जायेगा तो इसकी अदायगी की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी और आज के बाद देय समस्त कर आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा, परन्तु यदि इस विक्रय विलेख से पूर्व का कोई कर आदि या अन्य देय पाया जायेगा, तो अदायगी का उत्तरदायित्व विक्रेता का होगा।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 317516

6

2 8 OCT 2013

(ग) यह कि दुकान पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह दुकान किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह दुकान विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। दुकान स्पष्ट स्वामित्व की है।

(घ) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार जिसमें हवा, पानी, आवागमन, रास्ता, नाली आदि के अधिकार सम्मिलित है व अधिकार जो वर्तमान में विक्रेता को उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेता को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी स्थाई रूप से क्रेता को अन्तरित किये जा रहे हैं।

(ड़) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेता को विक्रेता की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेता, क्रेता की मांग पर व क्रेता के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेंगी तथा उसका कारण बनेंगी।

(च) यह कि यदि इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान या उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेता के किसी अन्य दोष के कारण क्रेता के अधिकार से निकल जाता है तो विक्रेता उसका पर्याप्त हर्जाना क्रेता को अदा करेंगी।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 494405 6

कोषागार, देहरादून

31 OCT 2013

निर्गत किया
कोड सं. 001

:: वांछित विवरण ::

(1) यह कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

(2) विक्रीत दुकान नगर निगम, देहरादून की सीमा के अन्तर्गत स्थित है।

(3) पक्षकारों के मध्य कोई भी पंजीकृत अनुबन्ध पत्र नहीं है।

(4) यह कि इस मल्टीस्टोरिड सम्पत्ति में 80 दुकानें निर्मित हैं, जिसमें से एक यूनिट का कॉमन एरिया 6 वर्गमीटर आंकलित होता है।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रूपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 456575

कोषाधिकारी
नगर, देहरादून
OCT 2013
निर्गत किया
कोड सं. 001

(4) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान प्रिन्स चौक एवं सहारनपुर चौक के मध्य अपर ग्राउण्ड फ्लोर श्री लक्ष्मी प्लाजा, 64 गांधी रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान नगर निगम देहरादून की सीमा के अर्न्तगत स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति दुकान है, जो कि बिना छत के अधिकारों के विक्रय की जा रही है, जिसके भूमिखण्ड का कुल क्षेत्रफल 22.30 वर्गमीटर है। भूमि का शासकीय मूल्यांकन 26,000/- रूपये प्रति वर्गमीटर है। शासकीय मूल्यांकन के अनुसार भूमि का मूल्यांकन 5,79,800/- रूपये निर्धारित होता है। उक्त भूखण्ड पर निर्मित दुकान का क्षेत्रफल 22.30 वर्गमीटर है। इस प्रकार निर्मित दुकान का मूल्यांकन 22.30 वर्गमीटर गुणा 220/- रू0 गुणा 300 = 14,71,800/- रूपये निर्धारित होता है। विक्रीत दुकान में 6 वर्गमीटर कॉमन एरिया का शासकीय मूल्यांकन, शासकीय दर अंकन 26,000/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अंकन 1,56,000/- रूपये आंकलित होता है। इस प्रकार इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान का कुल मूल्यांकन 22,08,000/- रूपये निर्धारित होता है, जिस पर नियमानुसार पांच प्रतिशत की दर से अंकन 1,10,500/- रूपये का स्टाम्प शुल्क समर्पित किया जा रहा है। विक्रीत दुकान नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1960) (यथाअंगीकृत व संशोधित उत्तरांखण्ड राज्य) के प्राविधानों से मुक्त है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 258241

31 OCT 2013

(5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्र्तगत स्थित है, जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन से इस विलेख की सूची में वर्णित दुकान को क्रय करने से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) (संशोधन) विधेयक-2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तरांचल अधिनियम संख्या-12 वर्ष 2006 एवं उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के प्राविधानों प्रभावी नहीं है और वर्तमान विक्रय-पत्र के माध्यम से सूची में वर्णित दुकान व गोदाम को क्रय करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

(6) यह कि इस विक्रय-विलेख में जहां-जहां शब्द क्रेता व विक्रेता प्रयुक्त किया गया है, वहां उनके समस्त उत्तराधिकारी, वारिसान, हित-प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि सभी सम्मिलित होंगे और सभी सम्मिलित समझे जायेंगे। इस विक्रय विलेख के सदैव समान रूप से बाध्य व पाबन्द रहेगा व समझा जायेगा।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये भारत

रु. 10000 Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND A 494504 A 494504

31 OCT 2013

:: विवरण सम्पत्ति (दुकान) ::

"लक्ष्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स" जो वर्तमान में "श्री लक्ष्मी प्लाजा" के नाम से भी जाना जाता है, नामक सम्पत्ति स्थित 64 गांधी रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) में अपर भूतल पर स्थित एक दुकान नम्बर-114, जिसका कुल क्षेत्रफल 240 वर्गफुट अर्थात 22.30 वर्गमीटर है (पूर्ण निर्मित) (बिना छत के अधिकारों के), जिसको संलग्न मानचित्र में **शब्द 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' तथा 'ए'** से प्रदर्शित किया गया है तथा **"लाल रंग"** की रेखाओं से रेखांकित किया गया है, जिसकी सीमाएं एवं पैमाईश निम्नानुसार है :-

उत्तर में :- कॉमन पैसेज, सीमा में पैमाईश 12 फुट,

दक्षिण में :- सम्पत्ति अन्य, सीमा में पैमाईश 12 फुट,

पूरब में :- भूतल पर खुली भूमि जिसमें 4 फुट का शटर लगा हुआ है, सीमा में पैमाईश 20 फुट,

पश्चिम में :- दुकान श्री विजय स्नेही, सीमा में पैमाईश 20 फुट।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

465567

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, देहरादून
28 OCT 2013
निर्गत किया
कोड सं. 001

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु:-

विक्रेता का नाम :- श्रीमती ईशा अग्रवाल

(Left Hand) बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ,	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

(Right Hand) दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL 465525

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, देहरादून
23 OCT 2013
निर्गत किया

क्रेता का नाम :- श्री अनिल चमोली

(Left Hand) बॉये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

(Right Hand) दॉये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

13 JAN 2014

609618

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को स्थान देहरादून में पक्षकारों द्वारा अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया गया है, ताकि सनद् रहे और समय पर काम आवे।

(श्रीमती ईशा अग्रवाल)
विक्रेता

(अनिल चमोली)
क्रेता

साक्षीगण :-

(1) Rajesh Manjkhola
S/o Late Sohan Lal Manjkhola
H.No.-16 L.No.-2 Om Vihar
Mata Mandir Road D.Dun
AJU0691162

(2) Ujjwal Agarwal
S/o Sh. A.K. Agarwal
76-C Mesh Villa Road
Dehra Dun
DL No – UA-0720020128789

पक्षकारों ने एक दूसरे की शिनाख्त की तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों तथा बताये गये तथ्यों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना की गयी। पक्षकारों ने स्वयं के चित्रण स्वयं पुष्ट किये तथा साक्षीगणों ने उपरोक्त विक्रय विलेख के सम्पूर्ण तथ्यों को पढ़ व समझकर एवं विक्रय प्रतिफल की धनराशि का आदान-प्रदान संज्ञान में लेकर इस विक्रय विलेख में बतौर साक्षीगण अपनी स्वेच्छा से हस्ताक्षर अंकित किये हैं।

रचयिता :- दिनेश तिवारी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Scanned with CamScanner

साईट प्लान

"लक्ष्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स" जो वर्तमान में "श्री लक्ष्मी प्लाजा" के नाम से भी जाना जाता है, नामक सम्पत्ति स्थित 64 गांधी रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड) में अपर भूतल पर स्थित एक दुकान नम्बर-114, जिसका कुल क्षेत्रफल 240 वर्गफुट अर्थात 22.30 वर्गमीटर है (पूर्ण निर्मित) (बिना छत के अधिकारों के), जिसको मानचित्र में शब्द 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' तथा 'ए' से प्रदर्शित किया गया है तथा "लाल रंग" की रेखाओं से रेखांकित किया गया है।

विक्रेता :- श्रीमती ईशा अग्रवाल

क्रेता :- श्री अनिल चमोली

Not to Scale

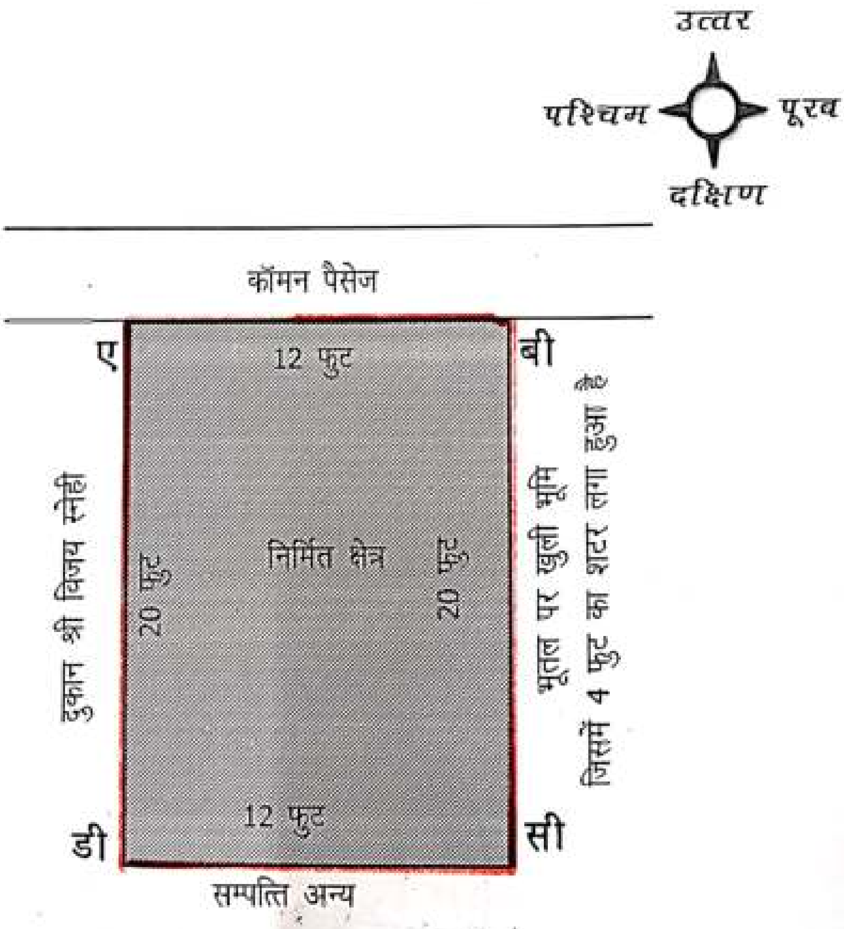

....

(श्रीमती ईशा अग्रवाल)
विक्रेता

....

(अनिल चमोली)
क्रेता

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 जिल्द 5,232 के पृष्ठ 351 से 380 पर क्रमांक 530

पर आज दिनांक 18 Jan 2014 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,द्वितीय
18 Jan 2014

18/01/2014

Scanned with CamScanner